303

संख्या– /XVIII-(2)/2016-03(06)/2014 T.C

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01 देहरादूनः दिनांक 19 अप्रैल, 2016

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु विश्व बैंक एवं ए.डी.बी. सहायतित परियोजनांतर्गत संचालित पी.एम.यू. उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू.डी.आर.पी.)/यू.ई.ए.पी. हेतु विभिन्न मदों में धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, यू.डी.आर.पी./यू.ई.ए.पी. के पत्र संख्या–PMU/UDRP/2016-17/04, दिनांक 04.04.2016 एवं पत्र संख्या–PMU/UDRP/2016-17/04, दिनांक 04.04.2016 के द्वारा शासन को प्रस्तुत धनराशि की मांग के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में माह जून व जुलाई, 2013 में बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने आदि से हुई क्षतियों के दृष्टिगत (प्रथम किस्त, चार माह हेतु) राज्य में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण से सम्बन्धित विश्व बैंक एवं ए0डी0बी0 सहायतित परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित यू0डी0आर0पी0 योजनाओं हेतु ₹ 83.33 करोड़ (₹ तिरासी करोड़ तैतीस लाख मात्र) एवं यू0ई0ए0पी0 योजनाओं हेतु ₹ 243.33 करोड़ (₹ दो सौ तैतालीस करोड़ तैतीस लाख मात्र) कुल ₹ 326.66 करोड़ (₹ तीन सौ छब्बीस करोड़ छियासठ लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार वित्त नियंत्रक, पी0एम0यू0/उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0) एवं उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू0ई0ए0पी0) देहरादून के नाम से साइबर ट्रेजरी देहरादून में खुले "पी0एल0ए0–8443–800–सिविल डिपाजिट अन्य जमा" में जमा कराये जाने हेतु कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 (विश्व बैंक सहायतित/ए0डी0बी0 सहायतित) उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।
2) उपरोक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार तथा विश्व बैंक व ए0डी0बी0 के साथ सम्पन्न त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MOU) के अनुसार किया जायेगा।
3) स्वीकृति के सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का **लेखा मिलान** संबंधित कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक **तीन माह** में सुनिश्चित कराया जायेगा।
4) पी0एल0ए0 खाते में जमा धनराशि तथा उसमें से किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित धनराशि के लेखों का रख–रखाव तथा इसके आडिट का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0)/उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू0ई0ए0पी0), (विश्व बैंक/ए0डी0बी0 सहायतित), उत्तराखण्ड का होगा।
5) पी0एल0ए0 खाते में जमा धनराशि में से परियोजनाओं की आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा तथा उसका पूर्ण औचित्य स्थापित करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 उत्तराखण्ड

3038 (8)

डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू.डी.आर.पी.)/उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू.ई.ए.पी.), (विश्व बैंक/ए.डी.बी. सहायतित), उत्तराखण्ड की होगी।

6) वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी तथा सम्पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन व वित्त विभाग व नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7) शासन द्वारा समय–समय पर जारी वित्तीय नियमों एवं निर्देशों तथा मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में बिना औचित्य के धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

8) उक्त धनराशि के प्रतिपूर्ति की व्यवस्था भी समय से सुनिश्चित कर ली जायेगी।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान (01.04.2016 से 31.07.2016 तक) के अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–97–बाह्य सहायतित योजनायें (आपदा 2013)–9704–सड़क एवं सेतु, 9708–तकनीकी सहायता आदि हेतु प्रकीर्ण व्यय **(विश्व बैंक सहायतित), एवं** 9703–सड़क एवं सेतु, 9705–शहरी विकास, 9706–पर्यटन, तथा 9707–तकनीकी सहायता आदि हेतु प्रकीर्ण व्यय **(ए0डी0बी0 सहायतित)**–24–वृहत् निर्माण कार्य (आयोजनागत) के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–1), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त निर्देशों के कम में निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–864 (1)/XVIII-(2)/2016-03(06)/2014 T.C, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– कार्यक्रम निदेशक, पी.एम.यू. उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू.डी.आर.पी.), (विश्व बैंक सहायतित)/उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट(यू.ई.ए.पी.),उत्तराखण्ड ।
5– वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0), (विश्व बैंक सहायतित) /उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू.ई.ए.पी.), उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–05, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
8– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9– निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाइल।

18-4-2016

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

शासनादेश सं0–864 /XVIII-(2)/2016-03(06)/2014 T.C, दिनांक 19 अप्रैल, 2016 का संलग्नक

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	आय–व्ययक 2016–17 में प्राविधानित धनराशि	पी0एल0ए0 में अवशेष धनराशि	आवंटित की जा रही धनराशि
–1–	–2–	–3–	–4–	
ए.डी.बी. सहायतित				
1.	9703–सड़क एवं सेतु	200.00	4.00	200.00
2.	9705–शहरी विकास	18.33	11.55	18.33
3.	9706–पर्यटन	33.33	33.21	20.00
4.	9707–तकनीकी सहयात आदि हेतु प्रकीर्ण व्यय	8.33	2.34	5.00
	योग	259.99	51.10	243.33
विश्व बैंक सहायतित				
1.	9704–सड़क एवं सेतु	106.66	35.00	75.00
2.	9708–तकनीकी सहायता आदि हेतु प्रकीर्ण व्यय	8.33	-	8.33
	योग	114.99	35.00	83.33
	महायोग	**374.98**	**86.10**	**326.66**

(कुल ₹ तीन सौ छब्बीस करोड़ छियासठ लाख मात्र)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव